झारखण्ड सरकार

लोकायुक्त का कार्यालय

ऑड्री हाउस, झारखण्ड, राँची।

दूरभाष संख्या–0651–2281160, **फैक्स**–0651–2282444

झारखण्ड में आम नागरिकों खास कर दूर दराज के इलाकों में रहने वालों की जानकारी के लिए झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम–2001 की विभिन्न धाराओं को प्रकाशित किया जा रहा है ताकि लोकायुक्त संस्थान से आम लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

- कोई भी व्यक्ति लोकायुक्त के पास लिखित परिवाद दायर करके यह शिकायत कर सकता है कि उसको कुप्रशासन के कारण अन्याय या अनुचित कठिनाई झेलनी पड़ी है। परन्तु उल्लेखित कार्रवाई की जानकारी परिवादी को प्राप्त होने की तिथि से बारह माह के अन्दर ही दायर करने पर यह विचारणीय होगा। (अधिनियम की धारा–7,8,9)
- कोई भी व्यक्ति जो स्वयं लोक सेवक नहीं है किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध परिवाद दायर कर सकता है जिसने अपने या अपने किसी व्यक्ति के लिए कोई लाभ लेने या तरफदारी करने के लिए अपनेद पद का दुरूपयोग किया है अथवा अपने पद की हैसियत से भ्रष्टाचार या कदाचार में लिप्त है। ऐसा परिवाद शपथ–पत्र के साथ दायर किया जाना है, परन्तु जिस तारीख को आरोप से संबंधित घटना घटित हुई है उसके पाँच साल के भीतर ही परिवाद दायर करने पर विचारणीय होगा। (अधिनियम की धारा –7,8,9)

- अधिनियम की धारा–2 (ञ) में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, जिसमें मंत्री, सचिव, अफसर या ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कार्यकलाप से संबंद्ध लोक सेवा में या पद पर नियुक्त हों झारखण्ड सरकार के

नियंत्रण के अधीन कार्यरत निगम, स्थानीय प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी शामिल है।

- लोकायुक्त संस्थान 8 में शपथ–पत्र द्वारा समर्पित परिवाद पत्र पर कार्रवाई आरंभ की जाती है अन्य स्टाम्प शुल्क नहीं अदा करना पड़ता है। इस प्रकार बिना किसी खर्च के शिकायत की सुनवाई और उसका निराकरण संभव हो पाता है।
- लोकायुक्त के यहाँ दायर परिवादों का अन्वेषण प्राइवेट में किया जात है और खास कर परिवादी का और अन्वेषण से प्रभावित होने वाले लोक सेवकों का अभिज्ञान जनता को या प्रेस को न तो अन्वेषण के पूर्व न उसके दौरान और न उसके पश्चात् ही प्रकट किया जाता है।(अधिनियम की धारा –10 (2))।
- लोकायुक्त संस्थान में अन्वेषण गुप्त होता हैं। किसी न्यायालय, व्यक्ति या संस्थान को हक नहीं है कि ''लोकायुक्त या किसी लोक सेवक की ऐसी जानकारी के संबंध में साक्ष्य देने के लिए या ऐसे अभिलिखित या संग्रहित साक्ष्य पेश करने के लिए विवश करे''। (अधिनियम–14)
- किसी परिवादी द्वारा की गई शिकायत या आरोप को यदि अन्वेषण एवं सुनवाई में सही पाया जाता है तो लोकायुक्त सक्षम पदाधिकारी को एक समय सीमा के अन्दर उपयुक्त कार्रवाई करके अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की अनुशंसा करते हैं। अनुशंसा प्रभावी नहीं होने की दशा में लोकायुक्त इस बिन्दु पर आश्वस्त होकर राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेज सकते हैं। (अधिनियम की धारा–12 उपधारा –1,2,3,4एवं 5)

सर्वसाधारण लोगों के बीच इस सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है ताकि आम जनमानस अपनी शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय को सीधे भेज सकें।

मानमीय लोकायुक्त के आदेश से।

सचिव (प्रभारी)

झारखण्ड, राँची।